



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092026-276349
CG-DL-E-21092026-276349

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4875]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 14, 2026/भाद्र 23, 1948

No. 4875]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 14, 2026/BHADRA 23, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2026

का.आ. 5065(अ).— भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3084 (अ) तारीख 30.06.2025 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ओडिसा राज्य में मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा पाइपलाइन (एमएनजीपीएल) और स्पर पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी; और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी; और, सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइनों बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइनों बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 कि उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, पाइपलाइनें बिछाने का प्रस्ताव करने वाली गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विल्लंगमों से मुक्त, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

मुंबई-नागपुर-झारसुगुडा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन							
अनुभाग- नागपुर-झारसुगुडा							
अनुसूची							
राज्य - ओडिशा							
जिला	तहसील	ग्राम	थाना नं.	सर्वे नंबर.	क्षेत्रफल		
					हेक्टर	आर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6		
झारसुगुडा	लखनपुर	समरबगा	62	92	00	00	88
झारसुगुडा	लखनपुर	गोबिन्दपुर	64	459	00	09	08
				455	00	02	59
झारसुगुडा	लखनपुर	लखनपुर	06	2242/4299	00	01	36
				2079	00	00	74
				1824	00	02	64
				2271/6087	00	00	42
				2235/6088	00	00	13
				2235/6086	00	00	34
झारसुगुडा	लखनपुर	कुदलोई	05	2631/3762	00	01	94
				2627	00	02	34
				2629	00	00	44
				2630	00	00	30
				2628	00	00	70
				2619	00	01	44
				2619/3770	00	00	94
				1645	00	02	94
				1646	00	00	24
				1647	00	00	24
				1654/3479	00	01	08
				1659	00	00	70
				1465	00	00	24
				1463	00	00	56
				1462	00	00	20
				1462/4812	00	00	30
				1461	00	01	24
				1458	00	00	15

				1456	00	00	38
				1456/3338	00	00	40
				1454/3335	00	00	08
				1369/3332	00	00	62
				1369	00	01	00
				1368	00	01	16
				1362	00	00	72
				1360	00	04	80
				1351/3625	00	00	58
				2780/3389	00	00	84
झारसुगुडा	लखनपुर	बेलपहाड़	10	1814/18105	00	00	14
झारसुगुडा	लखनपुर	छुअलीबरना	12	300	00	00	60
				298	00	01	99
झारसुगुडा	झारसुगुडा	तलपतिया	04	1623	00	03	47
				1642	00	05	90
झारसुगुडा	लाइकेर	उडियापाली	104	1299	00	09	83

[फा. सं. एल-14014/130/2022-जीपी-II(ई-43334)]

राजन कुमार साव, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2026

S.O. 5065(E).— Whereas by the notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas vide S.O. No. 3084 dated 30.06.2025 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Pipeline (MNJPL) & Spur pipeline in the State of Odisha by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

Mumbai-Nagpur-Jharsuguda Natural Gas Pipeline							
Section- Nagpur-Jharsuguda							
LAND SCHEDULE							
STATE: ODISHA							
DISTRICT	TEHSIL	VILLAGE	THANA NO.	SURVEY NO.	AREA		
					HECT.	ARE	SQ. MTR.
1	2	3	4	5	6		
Jharsuguda	Lakhanpur	Samarbaga	62	92	00	00	88
Jharsuguda	Lakhanpur	Govindpur	64	459	00	09	08
				455	00	02	59
Jharsuguda	Lakhanpur	Lakhanpur	06	2242/4299	00	01	36
				2079	00	00	74
				1824	00	02	64
				2271/6087	00	00	42
				2235/6088	00	00	13
				2235/6086	00	00	34
Jharsuguda	Lakhanpur	Kudaloi	05	2631/3762	00	01	94
				2627	00	02	34
				2629	00	00	44
				2630	00	00	30
				2628	00	00	70
				2619	00	01	44
				2619/3770	00	00	94
				1645	00	02	94
				1646	00	00	24
				1647	00	00	24
				1654/3479	00	01	08
				1659	00	00	70
				1465	00	00	24
				1463	00	00	56
				1462	00	00	20
				1462/4812	00	00	30
				1461	00	01	24
				1458	00	00	15
				1456	00	00	38
				1456/3338	00	00	40
				1454/3335	00	00	08
				1369/3332	00	00	62
				1369	00	01	00
				1368	00	01	16

				1362	00	00	72
				1360	00	04	80
				1351/3625	00	00	58
				2780/3389	00	00	84
Jharsuguda	Lakhanpur	Belpahar	10	1814/18105	00	00	14
Jharsuguda	Lakhanpur	Chhualibera	12	300	00	00	60
				298	00	01	99
Jharsuguda	Jharsuguda	Talpatia	04	1623	00	03	47
				1642	00	05	90
Jharsuguda	Laikera	Udiapali	104	1299	00	09	83

[F. No. L-14014/130/2022/GP-II (E-43334)]

RAJAN KUMAR SHAW, Under Secy.